"िबजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

# (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2017 — वैशाख 29, शक 1939

वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2017

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

#### नियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 कहलायेंगे ।
  - (2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुए समझे जार्येगे ।
- 2. शासकीय सेवकों के प्रवर्ग, जिनको ये नियम लागू होंगे.- इन नियमों द्वारा या इनके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम उन समस्त शासकीय सेवकों को लागू होंगे जो राज्य सरकार के नियम बनाने संबंधी नियंत्रण के अधीन आते है:-

परन्तु ये नियम निम्नलिखित प्रवर्गों के श्रासकीय सेवर्कों को लागू नहीं होंगे :-

- (एक) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति;
- (दो) अंशकालीन तथा दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारी;
- (तीन) पुन: नियोजित पेंशन भोगी;
- (चार) आकस्मिकता से वेतन पाने वाले व्यक्ति और कार्यभारित कर्मचारी;
- (पांच) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी श्रिक्षा परिषद् के वेतनमानों पर संदाय पाने वाले व्यक्ति;
- (छ:) अखिल भारतीय सेवा के वेतनमानों में वेतन पाने वाले व्यक्ति;
- (सात) शेट्टी कमीशन के द्वारा अनुशंसित वेतन प्राप्त करने वाले न्यायालयीन सेवा के व्यक्ति; और

(आठ) व्यक्तियों का कोई अन्य वर्ग या प्रवर्ग जिसे राज्यपाल, आदेश द्वारा, इस निमित्त विशेष रूप से विनिर्दिष्ट करें।

स्पष्टीकरण — खण्ड (तीन) के प्रयोजन के लिये, पुनः नियोजित पेंशन भोगी के अन्तर्गत वे पुनः नियोजित पेंशनभोगी सम्मिलित नहीं होंगे, जो प्रतिकर या अशक्त पेंशन प्राप्त करते थे और ऐसे सैनिक पेंशन भोगी जो प्रतिकर या अशक्त पेंशन प्राप्त करते थे और जो राज्य के नियम बनाने के नियंत्रण के अधीन पुनः नियोजित हैं और विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं।

- परिभाषाएं .— इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
  - (क) पुनरीक्षित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से अभिप्रेत है वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित वेतन, किन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे— विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है;
  - (ख) "विद्यमान मूल वेतन" से अभिप्रेत है वह वेतन, जो निर्धारित विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में आहरित किया जाता है, किन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन, आदि शामिल नहीं है;
  - (ग) शासकीय सेवकों के संबंध में "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" से अभिप्रेत है ऐसा वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन, जो शासकीय सेवक द्वारा इन नियमों की अधिसूचना के ठीक पहले की तारीख को, मौलिक अथवा स्थानापन्न रूप से धारित पद (अथवा, जैसा भी स्थिति हो, उसे लागू वैयक्तिक वेतनमान) पर लागू हो;
  - (घ) शासकीय सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन संरचना" से अभिप्रेत हैं इन नियमों के प्रवृत्त होने के ठीक पहले की तारीख को, शासकीय सेवक द्वारा मौलिक अथवा स्थानापन्न रूप से धारित पद के लिये लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान पद्धति;

स्पष्टीकरण – किसी शासकीय सेवक के मामले में, जो 01 जनवरी, 2016 को अवकाश पर अथवा भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा बाह्य सेवा में था अथवा जो उस तारीख को उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुए भी एक या

एक से अधिक निचले पदों पर कार्य करता होता, ''विद्यमान मूल वेतन'' तथा ''विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन'' में किसी पद के लिये ग्राह्य ''विद्यमान मूल वेतन'' तथा ''विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन'' जो उसने अवकाश पर, भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर, बाह्य सेवा पर अथवा किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहने पर भी धारित किया होता, शामिल होगा।

- (ड.) "विद्यमान परिलब्धियों" से अभिप्रेत है—
  (एक) विद्यमान मूल वेतन और (दो) 1 जनवरी, 2016 के सूचकांक औरत में विद्यमान महंगाई भत्ता का योग;
- (च) वेतन मैट्रिक्स में ''लेवल'' से अभिप्रेत है अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के तत्स्थानी लेवल;
- (छ) "वेतन मैट्रिक्स" से अभिप्रेत है अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स, तत्स्थानी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए यथा समनुदेशित लंबवत कोष्टिकाओं में व्यवस्थित वेतन लेवल सहित;
- (ज) "लेवल में वेतन" से अभिप्रेत है अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट लेवल
   में उपयुक्त कोष्टिका में आहरित वेतन,
- (झ) "पुनरीक्षित परिलब्धियों" से अभिप्रेत है पुनरीक्षित वेतन संरचना में किसी शासकीय सेवक के लेवल में वेतन;
- (अ) किसी पद के संबंध में ''पुनरीक्षित वेतन संरचना'' से अभिप्रेत है उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेवल, जब तक कि उस पद के लिए कोई भिन्न लेवल पृथक से अधिसूचित न किया गया हो;
- (ट) "अनुसूची" अभिप्रेत है इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची ।
- 4. पदों के लेवल. पदों के लेवल का निर्धारण, उन विभिन्न लेवलों के अनुसार किया जायेगा, जो कि तस्थानी वेतन मैट्रिक्स मे यथा विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए समनुदेशित हों।

5. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का आहरण — प्रत्येक शासकीय सेवक, पुनरीक्षित वेतन संरचना में, उसके नियुक्ति के पद पर लागू लेवल में, वेतन आहरित करेगा:

परन्तु यह कि कोई शासकीय सेवक, विद्यमान वेतन संरचना में उसकी आगामी या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उस पद को रिक्त करने तक अथवा उस विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण बन्द करने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करने का चयन कर सकता है:

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में जहां शासकीय सेवक को दिनांक 1 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों के अधिसूचना की तिथि के बीच पदोन्नित अथवा स्तरोन्नयन के फलस्वरूप, उच्चतर ग्रेड वेतन में रखा गया है, शासकीय सेवक ऐसी पदोन्नित अथवा स्तरोन्नयन की तारीख से, जैसा भी स्थिति हो, पुनरक्षित वेतन संरचना में आने का विकल्प चुन सकता है।

#### स्पष्टीकरण -

- (1) इस नियम के परन्तुकों के अधीन विद्यमान वेतन संरचना प्रतिधारित करने का विकल्प, केवल एक ही विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के संबंध में अनुझेय होगा ।
- (2) उपर्युक्त विकल्प, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में अनुझेय नहीं होगा जो 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् चाहे शासकीय सेवा में प्रथम बार या किसी अन्य पद से स्थानांतरण द्वारा, नियुक्त किया गया है, उसे केवल पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन अनुझेय होगा।
- (3) जहां कोई शासकीय सेवक, नियमित आधार पर स्थानापन्न हैसियत में उसके द्वारा धारण किये गये किसी पद के सबंध में विद्यमान वेतन संरचना प्रतिधारित करने के विकल्प का, इस नियम के परन्तुकों के अधीन प्रयोग करता है, वहां मूलभूत नियम 22 या उस पद पर लागू किसी अन्य नियम या आदेश के अधीन उस वेतन संरचना में वेतन के विनियमितीकरण के प्रयोजन के लिये उसका मूल वेतन, वह मूल वेतन

होगा जो वह उस दशा में आहरित करता जबिक वह उस स्थायी पद के सबंध में जिस पर धारणाधिकार रखता है विद्यमान वेतन संरचना प्रतिधारित करता या धारणाधिकार रखता यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं कर दिया जाता अथवा उस स्थानापन्न पद का वेतन जिसे तत्समय लागू किसी आदेश के अनुसार मौलिक वेतन का स्वरूप प्राप्त है में जो भी अधिक हो होगा।

6. विकल्प का प्रयोग — (1) नियम 5 के परन्तुकों के अधीन विकल्प का प्रयोग, इन नियमों के अनुसूची—दो में संलग्न प्रारूप में लिखित में, इस तरह किया जाएगा कि इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर या जहां विद्यमान वेतन संरचना इस तारीख के पश्चात् किये गये किसी आदेश द्वारा पुनरीक्षित किया गया हो, वहां ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के भीतर उप—नियम (2) में उल्लेखित प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए

### परन्तु,-

- (एक) किसी ऐसे शासकीय सेवक के मामले में, जो यथास्थिति इन नियमों के प्रकाशन की तारीख या ऐसे आदेश की तारीख पर अवकाश में हो या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति में हों, उक्त विकल्प का प्रयोग इस प्रकार से कर सकेगा कि राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा उस पद पर कार्यभार ग्रहण करने के तीन मास के भीतर, संबंधित प्राधिकारी को लिखित में प्राप्त हो जाए,
- (दो) जहां कोई शासकीय सेवक. 1 जनवरी, 2016 को निलंबनाधीन हो, वहां विकल्प का प्रयोग उसके कर्त्तव्य पर वापसी की तारीख से तीन माह के भीतर किया जा सकेगा यदि वह तारीख उस तारीख के बाद की हो जो इस उप-नियम में विहित की गई है; तथा
- (तीन) वे शासकीय सेवक, जो 1 जनवरी, 2016 के पश्चात् और इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, भी इस नियम के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिये पात्र होंगे।

- (2) शासकीय सेवक द्वारा विकल्प उसके कार्यालय प्रमुख को संसूचित किया जायेगा। कार्यालय प्रमुख अपना स्वय का विकल्प नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- (3) यदि विकल्प के संबंध में सूचना, उप—नियम (1) में उल्लिखित समयाविध के अंदर प्राप्त नहीं होता हो, तो यह मान लिया जाएगा कि शासकीय सेवक ने दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है।
- (4) एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा । विकल्प में कांट-छांट या उपरिलेखन स्वीकार्य नहीं होगा।

टिप्पणी 1 — वे व्यक्ति, जिनकी सेवायें 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई हैं और जो विहित की गई समय सीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग, स्वीकृत पदों की समाप्ति पर सेवोन्मुक्त कर दिये जाने, पद त्याग, पदच्युति अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति होने के कारण नहीं कर सके थे, इस नियम का लाभ उठाने के हकदार हैं।

टिप्पणी 2 — ऐसे व्यक्ति, जिनकी मृत्यु 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् हो गई हो तथा जिनके द्वारा विहित समयावधि में विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा सका हो, के संबंध में, यदि पुनरीक्षित वेतन संरचना अधिक अनुकूल है, यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना के लिये विकल्प का प्रयोग 1 जनवरी, 2016 से या उसके पश्चात्वर्ती किसी तिथि से, यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा अधिक लाभप्रद पाया जाये, किया गया है, और तद्नुसार उसका वेतन नियत किया जा सकेगा।

7. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण.— (1) उस शासकीय सेवक का जो दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन करता है या जिसके बारे में नियम 6 के उप—िनयम (3) के अन्तर्गत यह समझा जाता है कि उसने दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन कर लिया है, उस दशा के सिवाय, जहां राज्य सरकार विशेष

आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दें. प्रारंभिक वेतन का नियतन, उस स्थायी पद के संबंध में जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या धारणाधिकार रखता. यदि उसे निलम्बित न कर दिया गया होता तथा उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन के संबंध में अलग—अलग, निम्नलिखित रीति से किया जायेगा, अर्थात् :—

(एक) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल में वेतन वह होगा जो विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार से प्राप्त संख्या को निकटतम रूपये में पूर्णाकित करने पर प्राप्त हो तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को वेतन मैट्रिक्स में उसी लेवल में रखा जायेगा और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्टिका में कोई समरूप राशि हो तो वही वेतन होगा, और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्टिका उपलब्ध न हो, तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक उच्चतर कोष्टिका में किया जायेगा।

#### उदाहरण -

| 1 | विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-1                      | Pay<br>Band  |          | 52    | 200-2020 | 0     |          |
|---|--|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2 | विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400                       | Grade<br>Pay | 1800     | 1900  | 2200     | 2400  | 2800     |
| 3 | वेतन बैंड में विद्यमान वेतन                      | Levels       | 3        | 4     | 5        | 6     | 7        |
|   | 10190  | 1            | 18000    | 19500 | 22400    | 25300 | 28700    |
| 4 | विद्यमान मूल वेतन : 12590                        | 2            | 18500    | 20100 | 23100    | 26100 | 29600    |
| • | (10190 + 2400)                                   | 3            | 19100    | 20700 | 23800    | 26900 | 30500    |
| 5 | 2.57 के फिटमेंट गुणांक से                        | 4            | 19700    | 21300 | 24500    | 27700 | 31400    |
|   | गुणा करने के पश्चात वेतन                         | 5            | 20300    | 21900 | 25200    | 28500 | 32300    |
|   | $12590 \times 2.57 = 32356.30$                   | 6            | 20900    | 22600 | 26000    | 29400 | 33300    |
|   | (32356 में पूर्णिकित)                            | 7            | 21500    | 23300 | 26800    | 30300 | 34300    |
| 6 | ग्रेड वेतन २४०० का                               | 8            | 22100    | 24000 | 27600    | 31200 | 35300    |
|   | तदन्रूपी लेवल : लेवल 6                           | 9            | 22800    | 24700 | 28400    | 32100 | 36400    |
| 7 | वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित                    | 10           | 23500    | 25400 | 29300    | 33100 | 37500    |
|   | वेतन (लेवल 6 में या तो<br>32356 के बराबर या उससे | 11           | 24200    | 26200 | 30200    | 34100 | 38600    |
|   | अगली उच्चतर राशि) : 33100                        | L            | <u> </u> |       |          |       | <u> </u> |

- (दो) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम वेतन या प्रथम कोष्टिका की राशि, उपर्युक्त उप—खंड (एक) के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन, इस प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन पर अथवा प्रथम कोष्टिका में निर्धारित किया जायेगा।
- (2) कोई शासकीय सेवक जो दिनाक 1 जनवरी, 2016 को अवकाश पर है और उसे अवकाश वेतन की पात्रता है, दिनांक 1 जनवरी, 2016 अथवा पुनरीक्षित वेतन संरचना में विकल्प देने की तारीख से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करने का पात्र होगा । इसी प्रकार, यदि कोई शासकीय सेवक दिनांक 1 जनवरी, 2016 को अध्ययन अवकाश पर हो तो वह 1 जनवरी, 2016 अथवा विकल्प की तारीख से इन नियमों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।
- (3) निलंबित शासकीय सेवक, विद्यमान वेतनमान अथवा वेतन संरचना के आधार पर जीवन निर्वाह (निलंबन) भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
- (4) यदि किसी शासकीय सेवक की 'विद्यमान परिलब्धियाँ', 'पुनरीक्षित परिलब्धियों' से अधिक हैं, तो अंतर की राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में मान्य किया जायेगा जिसका समायोजन भविष्य की वेतनवृद्धियों में किया जाएगा।
- (5) जहां ऐसे शासकीय सेवक का, जो दिनाक 1 जनवरी, 2016 से ठीक पहले उसी संवर्ग के किसी किनष्ट शासकीय सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तथा उप—िनयम (1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन, ऐसे किनष्ट कर्मचारी से नीचे की कोष्टिका पर निर्धारित हुआ हो, उसका वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में किनष्ट कर्मचारी के समान कोष्टिका तक बढ़ा दिया जायेगा।

- (6) जहां कोई शासकीय सेवक इन नियमों की अधिसूचना के ठीक पहले की तारीख को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा है और यदि व्यक्तिगत वेतन को विद्यमान परिलब्धियों में शामिल करने से इसका योग पुनरीक्षित परिलब्धियों से अधिक होता है. तो उक्त आधिक्य के समान अन्तर की राशि उस शासकीय सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में मान्य किया जाएगा, जिसका समायोजन भविष्य की वेतनवृद्धियों में किया जाएगा।
- (7) ऐसे मामलों में, जहां किसी विरिष्ठ शासकीय सेवक की पदोन्नित उच्च पद पर दिनांक 1 जनवरी, 2016 के पूर्व हुई है और पुनरीक्षित वेतन संरचना में अपने ऐसे किनष्ट से कम वेतन आहरित करता है जिसकी पदोन्नित उच्च पद पर दिनांक 1 जनवरी, 2016 के बाद में हुई है, तो उस विरिष्ठ शासकीय सेवक का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन में वृद्धि कर उतना कर दिया जाएगा जितना कि उससे किनष्ट कर्मचारी का उच्च पद पर निर्धारित हुआ है । ऐसी वृद्धि किनष्ट शासकीय सेवक की पदोन्नित की तिथि से निम्निलिखित शर्तों के अध्यधीन की जायेगी, अर्थात् :—
  - (क) वरिष्ठ एवं किनष्ठ शासकीय सेवक एक ही संवर्ग के हों तथा जिस पद पर उनकी पदोन्नित हुई है, वह पद भी एक ही संवर्ग का समान पद हो।
  - (ख) उच्च एवं निम्न पदों का विद्यमान वेतन संरचना तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना जिस पर वेतन आहरण की पात्रता है, समरूप हों।
  - (ग) वरिष्ठ शासकीय सेवक का पदोन्नित के समय वेतन, किनष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर अथवा उससे अधिक हो।
  - (घ) विसंगति सीधे तौर पर मूलभूत नियम 22 के प्रावधानों अथवा पुनरीक्षित वेतन संरचना में ऐसी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के विनियमन से संबंधित किसी नियम या आदेश को लागू करने के कारण हो:

परन्तु यदि विद्यमान वेतन संरचना में कनिष्ठ अधिकारी उसे स्वीकृत किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के फलस्वरूप वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तो इस टिप्पणी के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के वेतन में वृद्धि नहीं की जायेगी।

- (8) नियम 5 के प्रावधानों के अध्यधीन, उप—नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद पर नियत किया गया वेतन यदि स्थाई पद के वेतन से कम है तो उसे स्थाई पद के वेतन के समान प्रक्रम में निर्धारित किया जाएगा।
- 8. दिनांक 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् नवनियुक्त शासकीय कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्घारण.— दिनांक 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् किसी निर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी का वेतन, उस पद, जिसमें ऐसा कर्मचारी नियुक्त किया गया हो, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन पर या प्रथम कोष्टिका में निर्धारित किया जायेगा:

परन्तु जहां 1 जनवरी, 2016 को या इसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, विद्यमान वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद पर जिस पर उसे 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतनमान अथवा प्रथम कोष्टिका से अधिक होती है, ऐसी अंतर की राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में अनुज्ञात किया जायेगा, जिसे भविष्य में होने वाली वेतन वृद्धियों में समायोजित किया जायेगा।

9. वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धि.— वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल की खड़ी कोष्टिकाओं में विनिर्दिष्ट अनुसार दी जायेगी।

| ×                            | पे बैंड  |       | 5     | 200-20200 |       |       |
|------------------------------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| लेवल 6 में 33100 रूपये मूल   | ग्रेड पे | 1800  | 1900  | 2200      | 2400  | 2800  |
| वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी | लेवल     | 3     | 4     | 5         | 6     | 7     |
| उसी लेवल में लंबवत नीचे      | 1        | 18000 | 19500 | 22400     | 25300 | 28700 |

| की ओर कोष्टिकाओं में चलेगा | 7  | 18500 | 20100 | 23100 | 26100    | 29600 |
|----------------------------|----|-------|-------|-------|----------|-------|
|                            | 3  | 19100 | 20700 | 23800 | 26900    | 30500 |
| और वेतन वृद्धि दिए जाने के | 4  | 19700 | 21300 | 24500 | 27700    | 31400 |
| पश्चात उसका मूल वेतन       | 5  | 20300 | 21900 | 25200 | 28500    | 32300 |
| 34100 रूपए हो जायेगा।      | 6  | 20900 | 22600 | 26000 | 29400    | 33300 |
| ·                          | 7  | 21500 | 23300 | 26800 | 30300    | 34300 |
|                            | 8  | 22100 | 24000 | 27600 | 31200    | 35300 |
|                            | 9  | 22800 | 24700 | 28400 | 32100    | 36400 |
|                            | 10 | 23500 | 25400 | 29300 | 33100    | 37500 |
|                            |    | †     |       |       | <b>\</b> |       |
|                            | 11 | 24200 | 26200 | 30200 | 34100    | 38600 |

10. पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतनवृद्धि की तारीख.— (1) 1 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई :

परन्तु किसी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति, पदोन्नित या स्तरोन्नयन के तारीख के आधार पर या तो 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।

(2) ऐसा कर्मचारी जिसकी नियुक्ति, पदोन्नित अथवा स्वीकृत वित्तीय स्तरोन्नयन, 2 जनवरी और 1 जुलाई (दोनों दिन शामिल) के बीच में हुई है, के मामले में, वेतन वृद्धि 1 जनवरी को दी जायेगी तथा ऐसा कर्मचारी जिसकी नियुक्ति, पदोन्नित अथवा स्वीकृत वित्तीय स्तरोन्नयन, 2 जुलाई और 1 जनवरी (दोनों दिन शामिल) के बीच में हुई है, के मामले में, वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दी जायेगी।

#### उदाहरण:

(क) ऐसा कर्मचारी जिसे 2 जुलाई, 2016 और 1 जनवरी, 2017 की बीच की अवधि में नियुक्ति अथवा सामान्य पदक्रम में पदोन्नित दी गई है अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृति दी गई है, के मामले में, प्रथम वेतनवृद्धि की पात्रता 1 जुलाई, 2017 को होगी तथा इसके पश्चात एक वर्ष के अंतराल में वार्षिक आधार पर देय होगी। (ख) ऐसा कर्मचारी जिसे 2 जनवरी, 2016 और 1 जुलाई, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति अथवा सामान्य पदक्रम में पदोन्नित दी गई है अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृति दी गई है, यदि उसने 1 जुलाई, 2016 को कोई वेतनवृद्धि आहरित नहीं की है, के मामले में, आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता 1 जनवरी, 2017 को होगी तथा इसके पश्चात एक वर्ष के अंतराल में वार्षिक आधार पर देय होगी:

परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनके मामले में 1 जनवरी को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारित किया गया है, उस लेवल में जिसमें ऐसा वेतन 1 जनवरी, 2016 को निर्धारित किया गया था, आगामी वेतनवृद्धि 1 जुलाई, 2016 को प्राप्त होगी:

परन्तु यह और कि 1 जुलाई, 2016 को वेतनवृद्धि आहरित करने के पश्चात आगामी वेतनवृद्धि 1 जुलाई, 2017 को देय होगी।

- 11. पुनरीक्षित वेतन संरचना में 01 जनवरी, 2016 के पश्चात वेतन का नियतन.— जहां कोई शासकीय सेवक, विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना जारी रखता है और 1 जनवरी, 2016 के पश्चातवर्ती किसी तारीख से पुनरीक्षित वेतन संरचना में लाया जाता है, वहां पुनरीक्षित वेतन संरचना में पश्चात्वर्ती तारीख से उसका वेतन निर्धारण, नियम 7 के उप—नियम (1) के खण्ड (एक) में विहित रीति से किया जायेगा।
- 12. दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व धारित किसी पद पर उक्त तिथि के पश्चात् पुनःनियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण कोई शासकीय सेवक जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो, किन्तु दिनांक 01 जनवरी, 2016 को उस पद को धारण नहीं करता था और उस पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करता है, उसे मूलभूत नियम 22 के परन्तुक का लाभ उसी सीमा तक अनुज्ञात किया जायेगा जहां तक कि वह उसे उस दशा में अनुज्ञेय होता जबकि वह

दिनांक 01 जनवरी. 2016 को उस पद को धारण किया होता और उस तारीख को पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता ।

01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात पदोन्नति पर वेतन निर्घारण -13. पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक लेवल से दूसरे लेवल में पदोन्नित के मामले में वेतन निर्धारण हेतु जिस लेवल से शासकीय सेवक पदोन्नत होता है, उस लेवल में एक वेतनवृद्धि दी जायेगी और उसे उस पद पर जिसमें पदोन्नति दी गई है, के लेवल में इस प्रकार से प्राप्त राशि के समतुल्य कोष्टिका में रखा जायेगा और यदि ऐसी कोई कोष्टिका उस लेवल में जिसमें पदोन्नति दी गई है, उपलब्ध नहीं है तो उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्टिका मे रखा जायेगा।

उदाहरणः -

| 1 | पुनरीक्षित वेतन संरचना में   | वेतन  |       | 52    | 00-20200 | )     |       |
|---|------------------------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|
| I | लेवल वेवल ६                  | बैंड  |       |       |          |       |       |
| 2 | पुनरीक्षित वेतन संरचना में   | ग्रेड | 1800  | 1900  | 2200     | 2400  | 2800  |
|   | मूल वेतन : 31200             | वेतन  |       |       |          |       |       |
| 3 | लेवल ७ में पदोन्नति स्वीकृत  | लेवल  | 3     | 4     | 5        | 6     | 7     |
| , |                              | 1     | 18000 | 19500 | 22400    | 25300 | 28700 |
| 4 | लेवल ६ में एक वेतनवृद्धि     | 2     | 18500 | 20100 | 23100    | 26100 | 29600 |
| 7 | दिए जाने के पश्चात् वेतन     | 3     | 19100 | 20700 | 23800    | 26900 | 30500 |
|   | 32100                        |       | 1     |       |          |       |       |
| 5 | उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 7    | 4     | 19700 | 21300 | 24500    | 27700 | 31400 |
|   | में वेतन : 32300 (लेवल 6 में | 5     | 20300 | 21900 | 25200    | 28500 | 32300 |
|   | 32100 के बराबर या उससे       | 6     | 20900 | 22600 | 26000    | 29400 | 33300 |
|   | उच्चतर राशि)                 | 7     | 21500 | 23300 | 26800    | 30300 | 34300 |
|   | South (IIKI)                 | 8     | 22100 | 24000 | 27600    | 31200 | 35300 |
|   |                              | 9     | 22800 | 24700 | 28400    | 32100 | 36400 |
|   |                              | 10    | 23500 | 25400 | 29300    | 33100 | 37500 |
|   |                              | 11    | 24200 | 26200 | 30200    | 34100 | 38600 |

वेतन के बकाया के मुगतान की रीति. - वेतन के बकाया का भुगतान, इस 14. संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरांत, किया जाएगा और इस हेतु अलग से आदेश जारी किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन हेतु किसी शासकीय सेवक के संबंध में, "बकाया वेतन" से अभिप्रेत है निम्न का अन्तर :--

- (एक) इन नियमों के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि हेतु वेतन एवं महंगाई भत्ते को जोड़, जिसकी उसे पात्रता है; तथा
- (दो) उस अवधि में वेतन एवं महंगाई भत्ते को जोड़, जिनकी उसे पात्रता होती (चाहे ऐसे वेतन एवं महंगाई भत्तों का भुगतान प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं) यदि उसके वेतन तथा भत्ते का इस प्रकार पुनरीक्षण नहीं किया गया होता ।
- 15. नियमों का अध्यारोही प्रभाव. उन मामलों में जहां वेतन इन नियमों द्वारा विनियमित होता है, वहां मूलभूत नियम तथा किन्ही अन्य नियमों के उपबंध उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे इन नियमों से असंगत हो ।
- 16. शिथिल करने की शक्ति. राज्य सरकार, शासकीय सेवकों को या शासकीय सेवकों के प्रवर्ग के मामलों में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबंध का प्रवर्तन ऐसी रीति से और ऐसी सीमा तक शिथिल या निलंबित कर सकेगी जैसा कि उसे लोकहित में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण या आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।
- 17. निर्वचन. यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो तो वह शासन के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

छत्नीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव. अनुसूची-एक

| And the second of the second o |                | Birran And State Control of the Cont | and the second second | <u> </u>       |                | <u>थर</u><br>मैद्रिक्स | <del></del>    | white-the statement will a ye |                 |                  |                  |
|--|----------------|--|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| पे बैंड  | 4750-          | 7440   |                       | 5              | 200-20200      |                        |                |                               | 9300-3          | 4800             |                  |
| ग्रेड पे   | 1300           | 1400   | 1800                  | 1900           | 2200           | 2400                   | 2800           | 4200                          | 4300            | 4400             | 4800             |
| लेवल   | 1              | . 2  | 3                     | 4              | 5              | 6                      | 7              | 8                             | 9               | 10               | 11               |
| 1  | 15600          | 16100  | 18000                 | 19500          | 22400          | 25300                  | 28700          | 35400                         | 38100           | 43200            | 49100            |
| 2  | 16100          | 16600  | 18500                 | 20100          | 23100          | 26100                  | 29600          | 36500                         | 39200           | 44500            | 50600            |
| 3  | 16600          | 17100  | 19100                 | 20700          | 23800          | 26900                  | 30500          | 37600                         | 40400           | 45800            | 52100            |
| 4  | 17100          | 17600  | 19700                 | 21300          | 24500          | 27700                  | 31400          | 38700                         | 41600           | 47200            | 53700            |
| 5  | 17600          | 18100  | 20300                 | 21900          | 25200          | 28500                  | 32300          | 39900                         | 42800           | 48600            | 55300            |
| 6  | 18100          | 18600  | 20900                 | 22600          | 26000          | 29400                  | 33300          | 41100                         | 44100           | 50100            | 57000            |
| 7  | 18600          | 19200  | 21500                 | 23300          | 26800          | 30300                  | 34300          | 42300                         | 45400           | 51600            | 58700            |
| 8  | 19200          | 19800  | 22100                 | 24000          | 27600          | 31200                  | 35300          | 43600                         | 46800           | 53100            | 60500            |
| 9  | 19800          | 20400  | 22800                 | 24700          | 28400          | 32100                  | 36400          | 44900                         | 48200           | 54700            | 62300            |
| 10   | 20400          | 21000  | 23500                 | 25400          | 29300          | 33100                  | 37500          | 46200                         | 49600           | 56300            | 64200            |
| 11   | 21000          | 21600  | 24200                 | 26200          | 30200          | 34100                  | 38600          | 47600                         | 51100           | 58000            | 66100            |
| 12   | 21600          | 22200  | 24900                 | 27000          | 31100          | 35100                  | 39800          | 49000                         | 52600           | 59700            | 68100            |
| 13   | 22200          | 22900  | 25600                 | 27800          | 32000          | 36200                  | 41000          | 50500                         | 54200           | 61500            | 70100            |
| 14   | 22900          | 23600  | 26400                 | 28600          | 33000          | 37300                  | 42200          | 52000                         | 55800           | 63300            | 72200            |
| 15   | 23600          | 24300  | 27200                 | 29500          | 34000          | 38400                  | 43500          | 53600                         | 57500           | 65200            | 74400            |
| 16   | 24300          | 25000  | 28000                 | 30400          | 35000          | 39600                  | 44800          | 55200                         | 59200           | 67200            | 76600            |
| 17   | 25000          | 25800  | 28800                 | 31300          | 36100          | 40800                  | 46100          | 56900                         | 61000           | 69200            | 78900            |
| 18   | 25800          | 26600  | 29700                 | 32200          | 37200          | 42000                  | 47500          | 58600                         | 62800           | 71300            | 81300            |
| 7.5  | <u> </u>       | 27400  | 30600                 | 33200          | 38300          | 43300                  | 48900          | 60400                         | 64700           | 73400            | 83700            |
| 19<br>20 ,   | 26600<br>27400 | 28200  | 31500                 | 34200          | 39400          | 44600                  | 50400          | 62200                         | 66600           | 75600            | 86200            |
| 21   | 28200          | 29000  | 32400                 | 35200          | 40600          | 45900                  | 51900          | 64100                         | 68600           | 77900            | 88800            |
| 22   | 29000          | 29900  | 33400                 | 36300          | 41800          | 47300                  | 53500          | 66000                         | 70700           | 80200            | 91500            |
| 23   | 29900          | 30800  | 34400                 | 37400          | 43100          | 48700                  | 55100          | 68000                         | 72800           | 82600            | 94200            |
| 24   | 30800          | 31700  | 35400                 | 38500          | 44400          | 50200                  | 56800          | 70000                         | 75000           | 85100            | 97000            |
| 25   | 31700          | 32700  | 36500                 | 39700          | 45700          | 51700                  | 58500          | 72100                         | 77300           | 87700            | 99900            |
| 26   | 32700          | 33700  | 37600                 | 40900          | 47100          | 53300                  | 60300          | 74300                         | 79600           | 90300            | 102900           |
| 27   | 33700          | 34700  | 38700                 | 42100          | 48500          | 54900                  | 62100          | 76500                         | 82000           | 93000            | 106000           |
| 28   | 34700          | 35700  | 39900                 | 43400          | 50000          | 56500                  | 64000          | 78800                         | 84500           | 95800            | 109200           |
| :29 *  | 35700          | 36800  | 41100                 | 44700          | 51500          | 58200                  | 65900          | 81200                         | 87000           | 98700            | 112500           |
| 30   | 36800          | 37900  | 42300                 | 46000          | 53000          | 59900                  | 67900          | 83600                         | 89600           | 101700           | 115900           |
| 31   | 37900          | 39000  | 43600                 | 47400          | 54600          | 61700                  | 69900          | 86100                         | 92300           | 104800<br>107900 | 119400<br>123000 |
| 32   | 39000          | 40200  | 44900                 | 48800          | 56200          | 63600                  | 72000          | 88700                         | 95100           | ļ                | 126700           |
| 33   | 40200          | 41400  | 46200                 | 50300          | 57900          | 65500                  | 74200          | 91400                         | 98000<br>100900 | 111100<br>114400 | 130500           |
|  | 41400          | 42600  | 47600                 | 51800          | 59600          | 67500                  | 76400          | 94100<br>96900                | 103900          | 117800           | 134400           |
|  | 42600          | 43900  | 49000                 | 53400          | 61400          | 69500<br>71600         | 78700<br>81100 | 99800                         | 107000          | 121300           | 138400           |
|  | 43900          | 45200  | 50500                 | 55000          | 63200          | 73700                  | 83500          | 102800                        | 110200          | 124900           | 142600           |
| 37:3   | 45200          | 46600  | 52000                 | 56700          | 65100<br>67100 | 75900                  | 86000          | 105900                        | 113500          | 128600           | 146900           |
| 38 *<br>39   | 46600          | 48000  | 53600<br>55200        | 58400<br>60200 | 69100          | 78200                  | 88600          | 109100                        | 116900          | 132500           | 151300           |
| 40   | 49400          | 50900  | 56900                 | 62000          | 71200          | 80500                  | 91300          | 112400                        | 120400          | 136500           | 155800           |
| →0 :   | 7,7400         | 1 30300  |                       |                |                |                        | <u> </u>       |                               | 1               | <u> </u>         | 1                |

|              |                  | वेतन मैा         | ट्रेक्स          |                  |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| पे बैंड      | 1.               | 5600-39100       |                  | 3                | 7400-67000       |                  |
| <br>ग्रेड पे | 5400             | 6600             | 7600             | 8700             | 8900             | 10000            |
| <br>लेवल     | 12               | 13               | 14               | 15               | 16               | 17               |
| 1            | 56100            | 67300            | 79900            | 118500           | 129700           | 141800           |
| 2            | 57800            | 69300            | 82300            | 122100           | 133600           | 146100           |
| 3            | 59500            | 71400            | 84800            | 125800           | 137600           | 150500           |
| 4            | 61300            | 73500            | 87300            | 129600           | 141700           | 155000           |
| <br>5        | 63100            | 75700            | 89900            | 133500           | 146000           | 159700           |
| <br>- 6      | 65000            | 78000            | 92600            | 137500           | 150400           | 164500           |
| 7            | 67000            | 80300            | 95400            | 141600           | 154900<br>159500 | 169400<br>174500 |
| 8            | 69000            | 82700            | 98300<br>101200  | 145800<br>150200 | 164300           | 179700           |
| <br>9        | 71100            | 85200            |                  | 154700           | 169200           | 185100           |
| 10           | 73200<br>75400   | 87800<br>90400   | 104200<br>107300 | 159300           | 174300           | 190700           |
| <br>11       |                  | 93100            | 110500           | 164100           | 179500           | 196400           |
| 12           | 77700            | 95900            | 113800           | 169000           | 184900           | 202300           |
| <br>13       | 80000            | 98800            | 117200           | 174100           | 190400           | 208400           |
| 14           | 82400            |                  | 120700           | 179300           | 196100           | 214700           |
| 15           | 84900            | 101800           | 124300           | 184700           | 202000           | 0                |
| 16           | 87400            | 104900           |                  | 190200           | 208100           | 0                |
| 17           | 90000            | 108000           | 128000           | ···              | 214300           | 0                |
| <br>18       | 92700            | 111200           | 131800           | 195900           | 0                | 0                |
| <br>19       | 95500            | 114500           | 135800           | 201800           | 0                | 0                |
| 20           | 98400            | 117900           | 139900           | 207900           | 0                | 0                |
| <br>21       | 101400           | 121400           | 144100           | 214100           |                  | 0                |
| 22           | 104400           | 125000           | 148400           | 0                | 0                | 0                |
| 23           | 107500           | 128800           | 152900           | 0                | 0                |                  |
| 24           | 110700           | 132700           | 157500           | 0                | 0                | 0                |
| . 25         | 114000           | 136700           | 162200           | 0                | 0                | 0                |
| 26           | 117400           | 140800           | 167100           | 0                | 0                | 0                |
| 27           | 120900           | 145000           | 172100           | 0                | 0                | 0                |
| 28           | 124500           | 149400<br>153900 | 177300<br>182600 | 0                | 0                | 0                |
| 29           | 128200           |                  | 188100           | 0                | 0                | 0                |
| <br>30       | 132000<br>136000 | 158500<br>163300 | 193700           | 0                | 0                | 0                |
| 31           | 140100           | 168200           | 199500           | 0                | 0                | 0                |
| <br>33       | 144300           | 173200           | 205500           | 0                | 0                | 0                |
| <br>34       | 148600           | 178400           | 211700           | 0                | 0                | 0                |
| 35           | 153100           | 183800           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 36           | 157700           | 189300           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| -37          | 162400           | 195000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 38           | 167300           | 200900           | 0                | 0                |                  | 0                |
| 39           | 172300           | 206900           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 40           | 177500           | 213100           | 0                | 0                | 0                | <u></u>          |

# अनुसूची-दो

# विकल्प का प्ररूप

(नियम 6 देखिये)

| <b>Ä</b>           | एतद्द्वारा दिनाक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन                    |
|--------------------|---|
| संरचना में वेतन अ  | ाहरण का चयन करता ∕ करती हूँ ।   |
|                    | या  |
| <b>À</b>           | एतदद्वारा अपने मूल / स्थानापन्न पद                                    |
|                    | के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड  |
| वेतन को            |   |
| *(ক)               | मेरी आगामी वेतनवृद्धि की तारीख तक                                     |
| या *(ख)            | मेरा बैंड वेतन रूपये तक बढ़ने वाली उत्तरवर्ती                         |
|                    | वेतनवृद्धि की तारीख तक  |
| या *(ग)            | मेरे द्वारा पद रिक्त किये जाने तक या विद्यमान बैंड वेतन और ग्रेड वेतन |
|                    | ————— में वेतन आहरित करना छोड़ने तक जारी                              |
|                    | रखने का चयन करता / करती हूँ ।   |
| स्थान -            |   |
| तारीख -            |   |
|                    | हस्ताक्षर   |
|                    | नाम   |
|                    | पदनाम   |
|                    | कार्यालय जिसमें नियोजित है  |
|                    |   |
| *जो लागू न हो व    |   |
|                    | (केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)  |
|                    | किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ————————— (नाम) द्वारा            |
| प्रस्तुत विकल्प का | र्यालय में दिनांक को प्राप्त हुआ ।                                    |
|                    | हस्ताक्षर   |
|                    | पदनाम   |

. / / }

#### Naya Raipur, the 19th May 2017

#### NOTIFICATION

No. F 2016-04-03303/Finance/Rule/IV. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, namely:-

#### **RULES**

- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Chhattisgarh Revision of Pay Rules, 2017.
- (2) These rules shall be deemed to have come into force on the 1<sup>st</sup> day of January, 2016.
- 2. Categories of Government servants to whom the rules apply.— Save as otherwise provided by or under these rules, these rules shall apply to all Government servants under the rule making control of the State Government:

Provided that these rules shall not be applicable to the Government servants of following categories.-

- (i) persons appointed on contract;
- (ii) part time and daily rated employees;
- (iii) re-employed pensioners;
- (iv) persons paid from contingencies and work-charged employees;
- (v) persons paid on pay scales of the University Grant Commission and All India Council for Technical Education;
- (vi) persons drawing pay in the All India Service scales;
- (vii) judicial service personnel paid on pay scales recommended by the Shetty Commission; and
- (viii) any other class or category of persons as the Governor may, by order, specially specify in this behalf.

**Explanation.-** For the purpose of clause (iii), the term re-employed pensioners shall not include the re-employed pensioners who were in receipt of compensation or invalid pension and the military pensioners, who were in receipt of compensation or invalid pension and re-employed under the rule making control of the State Government and drawing pay in the existing scale.

- 3. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "basic pay" in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix but does not include any other type of pay like special pay, etc.;
  - (b) "existing basic pay" means pay drawn in the prescribed existing Pay Band and Grade Pay, but does not include any other type of pay like 'special pay', etc.;
  - (c) "existing Pay Band and Grade Pay" in relation to a Government Servant means the Pay Band and the Grade Pay applicable to the post held by the Government Servant (or, as the case may be, personal scale applicable to him) as on the date immediately before the notification of these rules, whether in a substantive capacity or in officiating capacity;
  - (d) "existing pay structure" in relation to a Government servant means the present system of Pay Band and Grade Pay applicable to the post held by the Government servant as on the date immediately before coming into force of these rules, whether in a substantive or officiating capacity;

**Explanation.-** In the case of a Government servant, who was on the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 on leave or on deputation out of India or on foreign service, or who would have on that date officiated in one or more lower posts but for his officiating on a higher post, "existing basic pay" and "existing Pay Band and Grade Pay" includes the "existing basic pay" and "existing Pay Band and Grade Pay" applicable to the posts which he would have held but

for his being on leave or on deputation out of India or on foreign service or, as the case may be, but for his officiating on a higher post.

- (e) "existing emoluments" mean the sum of (i) existing basic pay and (ii) existing dearness allowance at index average as on 1<sup>st</sup> day of January 2016;
- (f) "level" in the Pay Matrix shall mean the Level corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay specified in the Schedule-I;
- (g) "pay matrix" means Matrix specified in the Schedule-I, with levels of pay arranged in vertical cells as assigned to corresponding existing Pay Band and Grade Pay;
- (h) "pay in the Level" means the pay drawn in appropriate Cell of the Level as specified in the Schedule-I;
- (i) "revised emoluments" means the pay in the Level of a Government servant in the revised pay structure;
- (j) "revised pay structure" in relation to a post means the Pay Matrix and the Level specified therein corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay of the post unless a different Level is notified separately for the post; and
- (k) "schedule" means a schedule annexed to these rules.
- 4. Level of posts.- The Level of posts shall be determined in accordance with the various Levels as assigned to the corresponding existing Pay Band and Grade Pay as specified in the Pay Matrix.
- 5. Drawal of pay in the revised pay structure.- A Government servant shall draw pay in the Level in the revised pay structure applicable to the post to which he is appointed:

Provided that a Government servant may elect to continue to draw pay in the existing pay structure until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing pay structure or until he vacates his post or ceases to draw pay in the existing pay structure: Provided further that in cases where a Government servant has been placed in a higher grade pay between 1<sup>st</sup> day of January, 2016 and the date of notification of these rules, on account of promotion or upgradation, the Government servant may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion or upgradation, as the case may be.

#### Explanation.-

- (1) The option to retain the existing pay structure under the provisos to this rule shall be admissible only in respect of one existing Pay Band and Grade Pay.
- (2) The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or after the 1<sup>st</sup> day of January, 2016, whether for the first time in Government service or by transfer from another post, he shall be allowed pay only in the revised pay structure.
- (3) Where a Government servant exercises the option under the provisos to this rule to retain the existing pay structure in respect of a post held by him in an officiating capacity on a regular basis for the purpose of regulation of pay in that pay structure under Fundamental Rule 22 or under any other rule or order applicable to that post, his substantive pay shall be substantive pay which he would have drawn had he retained the existing pay structure in respect of the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien had his lien not been suspended or the pay of the officiating post which has acquired the character of substantive pay in accordance with any order for the time being in force, whichever is higher.
- 6. Exercise of Option.- (1) The option under the provisos to rule 5 shall be exercised in writing in the form appended to in the Schedule-II so as to reach the authority mentioned in sub-rule (2) within three months of date of publication of these rules or where any revision in the existing pay structure is made by any order subsequent to that date, within three months of the date of such order:

Provided that,-

- (i) in the case of a Government servant, who is on the date of such publication, or as the case may be, on the date of such order on leave or deputation out of state, the said option shall be exercised in writing so as to reach the said authority within three months of his taking charge of his post under the State Government;
- (ii) where a Government servant is under suspension on the 1<sup>st</sup> day of January,2016, the option may be exercised within three months of the date of his return to his duty if that date is later than the date prescribed in this sub-rule; and
- (iii) those Government servants who have retired after 1<sup>st</sup> January, 2016, and before publication of these rules, shall be entitled to exercise their options under this rule.
- (2) The option shall be intimated by the Government servant to the head of his office. The head of office shall submit his own option to his controlling officer.
- (3) If the intimation regarding option is not received within the time mentioned in sub-rule (1), the Government servant shall be deemed to have elected to be governed by the revised pay structure with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2016.
- (4) The option once exercised shall be final. Cutting or overwriting in the option shall not be accepted.
  - Note 1- Persons whose services were terminated on or after the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of discharge on the expiry of the sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge on disciplinary grounds, are entitled to the benefits of this rule.
  - Note 2- Persons who have died on or after the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 and could not exercise the option within prescribed time limit are deemed to have opted for the revised pay structure on and from the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 or such later date as is found most beneficial by

the concerning authority, if the revised pay structure is more favorable and his pay may be fixed accordingly.

- 7. Fixation of pay in the revised pay structure. (1) The initial pay of a Government servant who elects, or is deemed to have elected under sub-rule (3) of rule 6 to be governed by the revised pay structure on and from the 1<sup>st</sup> day of January, 2016, shall, unless in any case the State Government by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien if it had not been suspended, and in respect of his pay in the officiating post held by him, in the following manner, namely:-
  - (i) the pay in the applicable Level in the Pay Matrix shall be the pay obtained by multiplying the existing basic pay by a factor of 2.57, rounded off to the nearest rupee and the figure so arrived at will be located in that Level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the pay Matrix.

#### Illustration:

| 1 | Existing Pay Band : PB-1       | Pay           |       | 5     | 200-20200 |        |       |
|---|--------------------------------|---------------|-------|-------|-----------|--------|-------|
|   |                                | Band          |       | 1000  | 2200      | 2400   | 2800  |
| 2 | Existing Grade Pay: 2400       | Grade         | 1800  | 1900  | 2200      | . 2400 | 2000  |
|   |                                | Pay           |       |       |           |        |       |
| 3 | Existing Pay in Pay Band:      | Levels        | 3     | 4     | 5         | 6      | 7     |
| , | 10190                          | I             | 18000 | 19500 | 22400     | 25300  | 28700 |
| 4 | Existing Basic Bay: 12590      | $\frac{1}{2}$ | 18500 | 20100 | 23100     | 26100  | 29600 |
| 7 | (10190 + 2400)                 | 3             | 19100 | 20700 | 23800     | 26900  | 30500 |
| 5 | Pay after multiplication by a  | 4             | 19700 | 21300 | 24500     | 27700  | 31400 |
| J | fitment factor of 2.57:        | 5             | 20300 | 21900 | 25200     | 28500  | 32300 |
|   | $12590 \times 2.57 = 32356.30$ | 6             | 20900 | 22600 | 26000     | 29400  | 33300 |
|   | (rounded off to 32356)         | 7             | 21500 | 23300 | 26800     | 30300  | 34300 |
| 6 | Level corresponding to GP      | 8             | 22100 | 24000 | 27600     | 31200  | 35300 |
| O | 2400 : Level 6                 | 9             | 22800 | 24700 | 28400     | 32100  | 36400 |
| 7 | Revised Pay in Pay Matrix      | 10            | 23500 | 25400 | 29300     | 33100  | 37500 |

|  | (either equal to or next higher | 11 | 24200 | 26200 | 30200 | 34100 | 38600 |  |
|--|---------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|  | to 32356 in Level 6): 33100.    |    |       |       |       |       |       |  |

- (ii) if the minimum pay or the first Cell in the applicable Level is more than the amount arrived at as per sub clause (i) above, the pay shall be fixed at minimum pay or the first Cell of that applicable Level.
- (2) A Government servant who is on leave on the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 and is entitled to leave salary shall become entitled to pay in the revised pay structure from 1.1.2016 or the date of option for the revised pay structure. Similarly when a Government servant is on study leave on the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 he will be entitled to the benefits under these rules from 1.1.2016 or the date of option.
- (3) A Government servant under suspension shall continue to draw subsistence allowance based on the existing scale of pay or pay structure and his pay in the revised pay structure shall be subject to the final order on the pending disciplinary proceedings.
- (4) Where the existing emoluments exceed the revised emoluments in the case of any Government servant, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.
- (5) Where in the fixation of pay under sub-rule (1), the pay of a Government servant, who, in the existing pay structure, was drawing immediately before the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 more pay than another Government servant junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay structure in a Cell lower than that of such junior, his pay shall be stepped up to the same Cell in the revised pay structure as that of the junior.
- (6) Where a Government servant is in receipt of personal pay immediately before the date of notification of these rules, which together with his existing emoluments exceeds the revised emoluments, then, difference representing such excess shall be allowed to such Government servant as personal pay to be absorbed in future increases in pay.
- (7) In cases where a senior Government servant promoted to a higher post before the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 draws less pay in the revised pay structure

than his junior who is promoted to the higher post on or after the 1<sup>st</sup> day of January, 2016, the pay of senior Government servant in the revised pay structure shall be stepped up to an amount equal to the pay as fixed for his junior in that higher post. The stepping up shall be done with effect from the date of promotion of the junior Government servant subject to the fulfillment of the following conditions, namely:-

- (a) both the junior and the senior Government servants belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted are identical in the same cadre.
- (b) the existing pay structure and revised pay structure of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay are identical.
- (c) the senior Government servant at the time of promotion was drawing equal or more pay than the junior.
- (d) the anomaly is directly as a result of the application of the provisions of the Fundamental Rule 22 or any other rule or order regulating pay fixation on such promotion in the revised pay structure:

Provided that if the junior officer was drawing more pay in the existing pay structure than the senior by virtue of any advance increments granted to him, the provision of this note shall not be invoked to step up the pay of the senior officer.

- (8) Subject to the provisions of rule 5, if the pay as fixed in the officiating post under sub-rule (1) is lower than the pay fixed in the substantive post, the former shall be fixed at the same stage as the substantive pay.
- 8. Fixation of pay in the revised pay structure of employees appointed as fresh recruits on or after 1<sup>st</sup> day of January, 2016.— The pay of employees appointed by direct recruitment on or after 1<sup>st</sup> day of January, 2016 shall be fixed at the minimum pay or the first Cell in the Level, applicable to the post to which such employees are appointed:

Provided that where the existing pay of such employee appointed on or after 1<sup>st</sup> day of January, 2016 and before the date of notification of these rules, has already been fixed in existing pay structure and if his existing

emoluments happen to exceed the minimum pay or the first Cell in the Level, as applicable to the post to which he is appointed on or after 1<sup>st</sup> day of January, 2016, such difference shall be paid as personal pay to be absorbed in future increments in pay.

9. Increment in Pay Matrix.- The increment shall be as specified in the vertical Cells of the applicable Level in the Pay Matrix.

#### Illustration:

| All employee in the Basic Pay  | Pay    |       | 5     | 200-20200 |       |       |
|--|--------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| of 33100 in Level 6 will move  | Band   |       |       |           |       |       |
|  | Grade  | 1800  | 1900  | 2200      | 2400  | 2800  |
| vertically down the same   | Pay    |       | 1     |           |       |       |
| Level in the cells and on grant of increment, his basic pay will be 34100. | Levels | 3     | 4     | 5         | 6     | 7     |
|  | 1      | 18000 | 19500 | 22400     | 25300 | 28700 |
|  | 2      | 18500 | 20100 | 23100     | 26100 | 29600 |
|  | 3      | 19100 | 20700 | 23800     | 26900 | 30500 |
|  | 4      | 19700 | 21300 | 24500     | 27700 | 31400 |
|  | 5      | 20300 | 21900 | 25200     | 28500 | 32300 |
|  | 6      | 20900 | 22600 | 26000     | 29400 | 33300 |
|  | 7      | 21500 | 23300 | 26800     | 30300 | 34300 |
|  | 8      | 22100 | 24000 | 27600     | 31200 | 35300 |
|  | 9      | 22800 | 24700 | 28400     | 32100 | 36400 |
|  | 10     | 23500 | 25400 | 29300     | 33100 | 37500 |
|  |        |       |       | -         | +     |       |
|  | 11     | 24200 | 26200 | 30200     | 34100 | 38600 |

10. Date of next increment in revised pay structure.- (1) There shall be two dates for grant of increment namely, 1<sup>st</sup> January and 1<sup>st</sup> July of every year, instead of existing date of 1<sup>st</sup> July:

Provided that an employee shall be entitled to only one annual increment either on 1<sup>st</sup> January or 1<sup>st</sup> July depending on the date of his appointment, promotion or upgradation.

(2) The increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial upgradation during the period between 2<sup>nd</sup> day of January and 1<sup>st</sup> day of July (both inclusive) shall be granted on 1<sup>st</sup> day of January and the increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial

upgradation during the period between 2<sup>nd</sup> day of July and 1<sup>st</sup> day of January (both inclusive) shall be granted on 1<sup>st</sup> day of July.

#### **Illustration:**

- (a) In case of an employee appointed or promoted in the normal hierarchy or granted financial upgradation during the period between the 2<sup>nd</sup> day of July, 2016 and the 1<sup>st</sup> day of January, 2017, the first increment shall accrue on the 1<sup>st</sup> day of July, 2017and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.
- (b) In case of an employee appointed or promoted in the normal hierarchy or granted financial upgradation during the period between the 2<sup>nd</sup> day of January, 2016 and the 1<sup>st</sup> day of July, 2016, who did not draw any increment on 1<sup>st</sup> day of July, 2016 the next increment shall accrue on the 1<sup>st</sup> day of January, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis:

Provided that in case of employees whose pay in the revised pay structure has been fixed as on 1<sup>st</sup> day of January, the next increment in the level in which the pay was so fixed as on 1<sup>st</sup> day of January, 2016 shall accrue on 1<sup>st</sup> day of July, 2016:

Provided further that the next increment after drawal of increment on 1<sup>st</sup> day of July, 2016 shall accrue on 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

- 11. Fixation of pay in the revised pay structure subsequent to the 1<sup>st</sup> day of January 2016.- Where a Government servant continues to draw his pay in the existing pay structure and is brought over to the revised pay structure from a date later than the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 his pay from the later date in the revised pay structure shall be fixed in the manner prescribed in clause (i) of sub-rule (1) of rule 7 of these rules.
- 12. Fixation of pay on re-appointment after the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 to a post held prior to that date.— A Government servant who had officiated in a post prior to the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 but was not holding that post on that date and who on subsequent appointment to that post draws pay in the

revised pay structure shall be allowed the benefit of the proviso to the Fundamental Rule 22, to the extent it would have been admissible had he been holding that post on the 1<sup>st</sup> day of January, 2016, and had elected the revised pay structure on and from that date.

13. Fixation of pay on promotion on or after 1.1.2016.— For the fixation of pay in case of promotion from one Level to another in the revised pay structure one increment shall be given in the Level from which the employee is promoted and he shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the Level of the post to which promoted and if no such Cell is available in the level to which promoted, he shall be placed at the next higher Cell in that Level.

#### Illustration:-

| IIIu | Stration:-                                   |              |            |       |       |       |       |  |  |  |
|------|--|--------------|------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 1    | Level in the revised pay structure: Level 6  | Pay<br>Band  | 5200-20200 |       |       |       |       |  |  |  |
| 2    | Basic Pay in the revised pay structure 31200 | Grade<br>Pay | 1800       | 1900  | 2200  | 2400  | 2800  |  |  |  |
| 3    | Granted Promotion in Level                   | Levels       | 3          | 4     | 5     | 6     | 7     |  |  |  |
|      | 7  | 1            | 18000      | 19500 | 22400 | 25300 | 28700 |  |  |  |
| 4    | Pay after giving one                         | 2            | 18500      | 20100 | 23100 | 26100 | 29600 |  |  |  |
| '    | increment in Level 6: 32100                  | 3            | 19100      | 20700 | 23800 | 26900 | 30500 |  |  |  |
| 5    | Pay in the upgraded Level                    | 4            | 19700      | 21300 | 24500 | 27700 | 31400 |  |  |  |
|      | 7: 32300 (either equal to or                 | 5            | 20300      | 21900 | 25200 | 28500 | 32300 |  |  |  |
|      | next higher to 32100 in                      | 6            | 20900      | 22600 | 26000 | 29400 | 33300 |  |  |  |
|      | Level 6)                                     | 7            | 21500      | 23300 | 26800 | 30300 | 34300 |  |  |  |
| 1    | Level ()                                     | 8            | 22100      | 24000 | 27600 | 31200 | 35300 |  |  |  |
| Ì    |  | 9            | 22800      | 24700 | 28400 | 32100 | 36400 |  |  |  |
|      |  | 10           | 23500      | 25400 | 29300 | 33100 | 37500 |  |  |  |
|      |  | 11           | 24200      | 26200 | 30200 | 34100 | 38600 |  |  |  |

14. Mode of payment of arrears of pay- The arrears shall be paid after the Government decision in this regard and orders will be issued separately.

**Explanation.**- For the purpose of this rule, "arrears of pay" in relation to a Government servant, means the difference between:

- (i) the aggregate of the pay and dearness allowance to which he is entitled on account of revision of his pay under these rules, for the period effective from the 1st day of January, 2016; and
- (ii) the aggregate of the pay and dearness allowances to which he would have been entitled (whether such pay and dearness allowances have been received or not) for that period had his pay and allowances not been so revised.
- 15. Overriding effect of rules- In cases where the pay is regulated by these rules, the provisions of Fundamental Rules and any other rule shall not apply to the extent they are inconsistent with these rules.
- 16. Power to relax- The State Government may relax or suspend the operation of any of the provisions of these rules in the case of Government servant or category of Government servants in such a manner and to such extent as may appear to it, to be just and equitable or necessary or expedient in public interest.
- 17. Interpretation- If any question arises relating to interpretation of these rules, it shall be referred to Government in Finance Department, whose decision thereon shall be final.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, S. K. CHAKRABORTY, Joint Secretary.

### Schedule-I

|                            | linne din ngapag-ila da ya marin yiya dadina ma <sup>ng</sup> dida siin d |                |                |                | w              | Matrix         |                |  |                |                  |                                       |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Pay Band                   | 4750-   | 7440           |                | 5              | 200-20200      |                |                | The state of the s | 9300-3         | 34800            |                                       |
| Grade Pay                  | 1300  | 1400           | 1800           | 1900           | 2200           | 2400           | 2800           | 4200   | 4300           | 4400             | 4800                                  |
| Level                      | 1   | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8  | 9              | 10               | 11                                    |
| 1                          | 15600   | 16100          | 18000          | 19500          | 22400          | 25300          | 28700          | 35400  | 38100          | 43200            | 49100                                 |
| 2                          | 16100   | 16600          | 18500          | 20100          | 23100          | 26100          | 29600          | 36500  | 39200          | 44500            | 50600                                 |
| 3                          | 16600   | 17100          | 19100          | 20700          | 23800          | 26900          | 30500          | 37600  | 40400          | 45800            | 52100                                 |
| 4                          | 17100   | 17600          | 19700          | 21300          | 24500          | 27700          | 31400          | 38700  | 41600          | 47200            | 53700                                 |
| 5 *                        | 17600   | 18100          | 20300          | 21900          | 25200          | 28500          | 32300          | 39900  | 42800          | 48600            | 55300                                 |
|                            |   |                |                |                | 26000          | 29400          | 33300          | 41100  | 44100          | 50100            | 57000                                 |
| 6<br>7                     | 18100<br>18600  | 18600<br>19200 | 20900<br>21500 | 22600<br>23300 | 26800          | 30300          | 34300          | 42300  | 45400          | 51600            | 58700                                 |
|                            |   |                |                |                |                |                | 35300          | 43600  | 46800          | 53100            | 60500                                 |
| 8                          | 19200   | 19800          | 22100          | 24000          | 27600          | 31200          |                |  |                |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 9.                         | 19800   | 20400          | 22800          | 24700          | 28400          | 32100          | 36400          | 44900  | 48200          | 54700<br>56300   | 62300<br>64200                        |
| 10 🕬                       | 20400   | 21000          | 23500          | 25400          | 29300          | 33100          | 37500          | 46200  | 49600          |                  |                                       |
| ·11.                       | 21000   | 21600          | 24200          | 26200          | 30200          | 34100          | 38600          | 47600  | 51100          | 58000            | 66100                                 |
| 12                         | 21600   | 22200          | 24900          | 27000          | 31100          | 35100          | 39800          | 49000  | 52600          | 59700            | 68100                                 |
| 13                         | 22200   | 22900          | 25600          | 27800          | 32000          | 36200          | 41000          | 50500  | 54200          | 61500            | 70100                                 |
| 14                         | 22900   | 23600          | 26400          | 28600          | 33000          | 37300          | 42200          | 52000  | 55800          | 63300            | 72200                                 |
| 15                         | 23600   | 24300          | 27200          | 29500          | 34000          | 38400          | 43500          | 53600  | 57500          | 65200            | 74400                                 |
| 16                         | 24300   | 25000          | 28000          | 30400          | 35000          | 39600          | 44800          | 55200  | 59200          | 67200            | 76600                                 |
| 17                         | 25000   | 25800          | 28800          | 31300          | 36100          | 40800          | 46100          | 56900  | 61000          | 69200            | 78900                                 |
| 18                         | 25800   | 26600          | 29700          | 32200          | 37200          | 42000          | 47500          | 58600  | 62800          | 71300            | 81300                                 |
| 19                         | 26600   | 27400          | 30600          | 33200          | 38300          | 43300          | 48900          | 60400  | 64700          | 73400            | 83700                                 |
| 20                         | 27400   | 28200          | 31500          | 34200          | 39400          | 44600          | 50400          | 62200  | 66600          | 75600            | 86200                                 |
| . 21                       | 28200   | 29000          | 32400          | 35200          | 40600          | 45900          | 51900          | 64100  | 68600          | 77900            | 88800                                 |
| 22                         | 29000   | 29900          | 33400          | 36300          | 41800          | 47300          | 53500          | 66000  | 70700          | 80200            | 91500                                 |
| 23                         | 29900   | 30800          | 34400          | 37400          | 43100          | 48700          | 55100          | 68000  | 72800          | 82600            | 94200                                 |
| 24                         | 30800   | 31700          | 35400          | 38500          | 44400          | 50200          | 56800          | 70000  | 75000          | 85100            | 97000                                 |
| 25                         | 31700   | 32700          | 36500          | 39700          | 45700          | 51700          | 58500          | 72100  | 77300          | 87700            | 99900                                 |
| 26                         | 32700   | 33700          | 37600          | 40900          | 47100          | 53300          | 60300          | 74300  | 79600          | 90300            | 102900                                |
| 27                         | 33700   | 34700          | 38700          | 42100          | 48500          | 54900          | 62100          | 76500  | 82000          | 93000            | 106000                                |
| . 28 ::                    | 34700   | 35700          | 39900          | 43400          | 50000          | 56500          | 64000          | 78800  | 84500          | 95800<br>98700   | 109200<br>112500                      |
| 29 %                       | 35700   | 36800          | 41100          | 44700          | 51500          | 58200          | 65900          | 81200  | 87000          |                  | 115900                                |
| 30***                      | 36800   | 37900          | 42300          | 46000          | 53000          | 59900          | 67900          | 83600  | 89600<br>92300 | 101700<br>104800 | 119400                                |
| 31                         | 37900   | 39000          | 43600          | 47400          | 54600<br>56200 | 61700<br>63600 | 69900<br>72000 | 86100<br>88700   | 92300<br>95100 | 107900           | 123000                                |
| 32 💥 🖰                     | 39000   | 40200          | 44900          | 48800          | <u> </u>       |                | <b></b>        | 91400  | 98000          | 111100           | 126700                                |
| 33† <sub>4</sub> .<br>34.* | 40200<br>41400  | 41400<br>42600 | 46200<br>47600 | 50300<br>51800 | 57900<br>59600 | 65500<br>67500 | 74200<br>76400 | 94100  | 100900         | 114400           | 130500                                |
| 34                         | 42600   | 43900          | 49000          | 53400          | 61400          | 69500          | 78700          | 96900  | 103900         | 117800           | 134400                                |
|                            |   |                | <u> </u>       | 55000          | 63200          | 71600          | 81100          | 99800  | 107000         | 121300           | 138400                                |
|                            | 43900<br>45200  | 45200<br>46600 | 50500          | 56700          | 65100          | 73700          | 83500          | 102800   | 110200         | 124900           | 142600                                |
| TO ME AND                  |   | <b></b>        | <u> </u>       |                | <u> </u>       |                |                | 105900   | 113500         | 128600           | 146900                                |
| 39                         | 46600<br>48000  | 48000<br>49400 | 53600<br>55200 | 58400<br>60200 | 67100<br>69100 | 75900<br>78200 | 86000<br>88600 | 109100   | 116900         | 132500           | 151300                                |
| 40                         |   | 50900          | 56900          | 62000          | 71200          | 80500          | 91300          | 112400   | 120400         | 136500           | 155800                                |
| , <b>40</b> (              | 49400   | 20300          | 20300          | 02000          | ,1200          |                | 1              |  |                | <u></u>          | <u> </u>                              |

Pay Matrix

| Pay Band<br>Grade Pay | 15600-39100      |                  |                  | 37400-67000 |        |                                       |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------|---------------------------------------|
|                       | 5400             | 6600             | 7600             | 8700        | 8900   | 10000                                 |
| Level                 | 12               | 13               | 14               | 15          | 16     | 17                                    |
| 1                     | 56100            | 67300            | 79900            | 118500      | 129700 | 141800                                |
| 2                     | 57800            | 69300            | 82300            | 122100      | 133600 | 146100                                |
| 3                     | 59500            | 71400            | 84800            | 125800      | 137600 | 150500                                |
| 4                     | 61300            | 73500            | 87300            | 129600      | 141700 | 15500                                 |
| 5                     | 63100            | 75700            | 89900            | 133500      | 146000 | 15970                                 |
| 6                     | 65000            | 78000            | 92600            | 137500      | 150400 | 16450                                 |
| 7                     | 67000            | 80300            | 95400            | 141600      | 154900 | 16940                                 |
| 8                     | 69000            | 82700            | 98300            | 145800      | 159500 | 17450                                 |
| 9                     | 71100            | 85200            | 101200           | 150200      | 164300 | 17970                                 |
| 10                    | 73200            | 87800            | 104200           | 154700      | 169200 | 18510                                 |
| 11                    | 75400            | 90400            | 107300           | 159300      | 174300 | 19070                                 |
| 12                    | 77700            | 93100            | 110500           | 164100      | 179500 | 19640                                 |
| 13                    | 80000            | 95900            | 113800           | 169000      | 184900 | 20230                                 |
| 14                    | 82400            | 98800            | 117200           | 174100      | 190400 | 20840                                 |
| 15                    | 84900            | 101800           | 120700           | 179300      | 196100 | 21470                                 |
| 16                    | 87400            | 104900           | 124300           | 184700      | 202000 | (                                     |
| 17                    | 90000            | 108000           | 128000           | 190200      | 208100 | (                                     |
| 18                    | 92700            | 111200           | 131800           | 195900      | 214300 | (                                     |
| 19                    | 95500            | 114500           | 135800           | 201800      | 0      |                                       |
| 20                    | 98400            | 117900           | 139900           | 207900      | 0      | (                                     |
| .21                   | 101400           | 121400           | 144100           | 214100      | 0      |                                       |
| 22                    | 104400           | 125000           | 148400           | 0           | 0      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 23                    | 107500           | 128800           | 152900           | 0           | 0      |                                       |
| -24                   | 110700           | 132700           | 157500           | 0           | 0      |                                       |
| 25                    | 114000           | 136700           | 162200           | 0           | 0      |                                       |
| 26                    | 117400           | 140800           | 167100           | 0           | 0      |                                       |
| 27                    | 120900           | 145000           | 172100           | 0           | 0      |                                       |
| 28 -                  | 124500           | 149400           | 177300           | 0           | 0      |                                       |
| 29                    | 128200           | 153900           | 182600           | 0           |        |                                       |
| 31 3.4                | 132000           | 158500           | 188100           | 0           | 0      |                                       |
| 32                    | 136000           | 163300           | 193700           | 0           | ō      |                                       |
| 33                    | 140100<br>144300 | 168200<br>173200 | 199500<br>205500 | 0           | 0      | ·                                     |
| 34                    | 148600           | 178400           | 211700           | 0           | ō      |                                       |
| 35                    | 153100           | 183800           | U                | 0           | 0      |                                       |
| 36                    | 157700           | 189300           | ō                | 0           | 0      |                                       |
| 37. 7. 7.             | 162400           | 195000           | 0                | 0           | 0      |                                       |
| 38                    | 167300           | 200900           | 0                | 0           | 0      |                                       |
| 39                    | 172300           | 206900           | 0                | 0           | 0      |                                       |
| 40                    | 177500           | 213100           | 0                | o           | 0      |                                       |

## Schedule-II

# Form of Option

(See Rule-6)

| I hereby elect to draw my pay in the                               |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Revised pay structure with effect from 1st January, 2016.          |  |  |  |  |  |  |
| or   |  |  |  |  |  |  |
| I hereby elect to continue on the                                  |  |  |  |  |  |  |
| existing pay band and grade pay of of my                           |  |  |  |  |  |  |
| substantive/officiating Post of until                              |  |  |  |  |  |  |
| * (a) The date of my next increment                                |  |  |  |  |  |  |
| or *(b) The date of subsequent increment raising my band pay to Rs |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| or *(c) I vacate the post or cease to draw pay in the existing pay |  |  |  |  |  |  |
| band and grade pay of  |  |  |  |  |  |  |
| Station  Date  Signature  Name  Designation                        |  |  |  |  |  |  |
| Office in which employed   |  |  |  |  |  |  |
| * (strike off if inapplicable)                                     |  |  |  |  |  |  |
| FOR OFFICE USE ONLY  |  |  |  |  |  |  |
| Certified that the option submitted by Shri/Smt./Ku                |  |  |  |  |  |  |
| (name) is received in the office on                                |  |  |  |  |  |  |
| Signature Designation  |  |  |  |  |  |  |